राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 18 अप्रैल 2026
वर्ष 14, अंक 357, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

आर एस कान्वेंट स्कूल का टापर बना कन्हैया लाल ..03

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए : सीएमओ..04

सबरीमाला विवादः आस्था बनाम संविधान...सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर उठे अहम सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने शुक्रवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान, आस्था, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर बहस हुई. दरअसल, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई जारी रही. इस दौरान विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकीलों ने अपने-अपने तर्क पेश किए, और इस मुद्दे के सामाजिक और कानूनी पहलुओं को सामने रखा. इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है. साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता. पांचवे दिन आत्मार्थम ट्रस्ट की ओर से पेश होते हुए, वकील एम.आर. वेंकटेश ने 'संप्रदाय' शब्द की व्याख्या को चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि यह शब्द विदेशी मूल का है और भारतीय संदर्भ में इसकी अपनी सीमाएं हैं. उन्होंने दलील दी कि गैर-सांप्रदायिक मंदिरों के अधिकारों को भी समान सुरक्षा दी जानी चाहिए. वेंकटेश ने आगे कहा कि कई महिलाएं स्वेच्छा से मासिक धर्म के दौरान मंदिरों में प्रवेश करने से बचती हैं. इस प्रथा को परंपरा और व्यक्तिगत आस्था के दायरे में समझा जाना

चाहिए।

सभी धर्मों के अधिकारों को ध्यान में रखे सुप्रीम कोर्ट

इसके विपरीत, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कोर्ट के सामने एक व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट को एक संतुलित फैसला देना चाहिए जो सभी धर्मों के अधिकारों को ध्यान में रखे. धवन ने यह भी कहा कि आस्था समय के साथ विकसित होती है, और ऐसा विकास केवल कानूनी उपायों से नहीं लाया जा सकता. उनके अनुसार, असहमति और विभाजन से भरे समाज में, कोर्ट को एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या अपनानी चाहिए।

संविधान में निहित कुछ अधिकार धार्मिक प्रथाओं से ऊपर

धवन ने आगे स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म पर सम्मानपूर्वक सवाल उठाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है; हालांकि, हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संविधान में निहित कुछ अधिकार धार्मिक प्रथाओं से ऊपर हैं, और इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए. राजीव धवन ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंहवी के इस तर्क से असहमति जताई कि सबरीमाला के अलावा भगवान अयप्पा के अन्य मंदिर भी हैं जहां मासिक धर्म वाली महिलाएं जा सकती हैं.उन्होंने इस तर्क से असहमति जताई. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाते समय, एक संवैधानिक संस्था को व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' के दायरे पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को फैसला सुनाते समय अपनी व्यक्तिगत धार्मिक चेतना से ऊपर उठना चाहिए और व्यापक संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

संविधान की व्याख्या केवल धर्म तक ही सीमित नहीं

पीठ ने यह भी संकेत दिया कि संविधान की व्याख्या केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे अंतरात्मा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक दायरे में भी किया जाना चाहिए. अदालत की इन टिप्पणियों ने इस बहस को और भी अधिक गहराई प्रदान की है कि क्या धार्मिक परंपराएँ संवैधानिक मूल्यों पर वरीयता पा सकती हैं. अब मामले की अगली सुनवाई के दौरान, इस जटिल प्रश्न पर संभवतः और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी. एक ऐसी प्रक्रिया जो देश में धर्म और अधिकारों के बीच संतुलन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

HC ने 1991 में लगाई थी रोक, SC ने 2018 में हटाया

वहीं मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने कहा कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है. यहां के देवता ब्रह्मचारी हैं. भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं. अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं. उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है. केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में मासिक धर्म वाली महिलाओं (10-50 साल) की एंट्री पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बैन हटा दिया. फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई, जिसपर अब सुनवाई हो रही है. मंदिर प्रशासन महिला।

TCS धर्मांतरण केसः फरार निदा खान कहां है? अग्रिम जमानत याचिका दाखिल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के खुलासे के बाद कंपनी प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है. अब तक इस केस में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं,फरार आरोपी निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का सहारा लिया है. यह आवेदन नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है. पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में निदा खान इकलौती महिला आरोपी हैं, जो अभी तक गिरफ्तारी से बची हुई है. वहीं, इस मामले से जुड़े अब तक कुल नौ मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें छह पुरुष आरोपियों की भूमिका सामने आई है. सूत्रों का कहना है कि निदा खान ब्रूस्ट्स में काम के दौरान अन्य संदिग्धों के संपर्क में आई थी और उसे इस कथित नेटवर्क की एक अहम कड़ी माना जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी से इस पूरे मामले की कई परतें खुलने की संभावना जताई जा रही है।

निदा खान की तलाश में जुटी एसआईटी

जांच एजेंसियों की ओर से गठित SIT लगातार निदा खान की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने नासिक और ठाणे जिले

के कई इलाकों में छापेमारी भी की है, लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. बताया जा रहा है कि उसका मोबाइल फोन लगातार बंद या नेटवर्क से बाहर है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है. पुलिस को आशंका है कि वह अंडरग्राउंड हो चुकी है. इसी बीच, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि निदा खान गर्भवती है. उसने इसी आधार पर अदालत से अग्रिम जमानत देने की मांग की है. अब अदालत की सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि क्या इस आधार पर उन्हें राहत मिलती है या पुलिस को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी जाती है।

इस मामले में पहले ही दो आरोपियों रजा रफीक मेमन (35) और शफी बिखान शेख (36) को अदालत ने 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अब तक इस केस में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें छह पुरुष और एक महिला कर्मचारी शामिल हैं।

2021 में टीसीएस जॉइन किया

निदा खान ने 27 दिसंबर 2021 में टीसीएस जॉइन किया था. वर्तमान में वह प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत है. प्रबंधन ने निदा खान को सस्पेंड कर दिया है. कंपनी की ओर से जारी एक पत्र में लिखा गया है कि आपके खिलाफ एक गंभीर मामला आया है, जिसके संबंध में आप इस समय पुलिस हिरासत में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए आप वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं. कंपनी आपको अस्थायी रूप से निलंबित कर रही है।

सस्पेंशन लेटर मे आगे लिखा कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आपके पास यदि कंपनी की कोई संपत्ति है तो उसे तुरंत कंपनी को सौंपने की व्यवस्था करें. साथ ही, अगले निर्देश मिलने तक आपको किसी भी कंपनी कार्यालय में रिपोर्ट करने या घर से काम करने की अनुमति नहीं होगी।

संक्षिप्त ख़बरें

मायावती का बड़ा हमला- सपा-कांग्रेस को घेरा... पिछड़ों के हक पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे दल, आरक्षण के नाम पर सिर्फ छलावा!

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल एससी, एसटी और ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर लगातार अपना रुख बदलते रहे हैं और अब महिला आरक्षण के नाम पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन वर्गों के आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कभी ठोस पहल नहीं की।

OBC आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग की सिफारिशों का जिक्र

मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लागू कराने का श्रेय बसपा के प्रयासों और पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार को जाता है। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने संबंधी आयोग की रिपोर्ट को सपा सरकार ने लंबे समय तक लागू नहीं किया, जबकि बसपा सरकार ने 1995 में इसे लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वही सपा राजनीतिक स्वार्थ के तहत महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात कर रही है।

परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए: मायावती

महिला आरक्षण पर मायावती ने कहा कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती, तो वह भी भाजपा की तरह ही कदम उठाती। अपने बयान में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के वास्तविक हितों को लेकर कोई भी पार्टी पूरी तरह गंभीर नहीं रही है। उन्होंने इन वर्गों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर बनें।

जन्मोत्सव पर कल निकलेगी भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा

●अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर विप्र समाज में उत्साह, तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे आयोजक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)- अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर विप्र समाज में उत्साह है। ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में 19 अप्रैल रविवार को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए महासभा के महामंत्री रंजन गोस्वामी ने बताया कि शोभायात्रा सुबह 8 बजे रामकुंड कॉलोनी से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए ब्राह्मण महासभा परिसर बजरिया पहुंचेगी जहां हवन पूजन एवं भंडारा प्रसाद वितरण के साथ शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा।

ब्राह्मण महासभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए ब्राह्मण महासभा के महामंत्री ने बताया कि शोभायात्रा का मार्ग रामकुंड कॉलोनी से शुरू होकर गल्ला मंडी गेट नंबर 2, मारकंडेयश्वर तिराहा, एसआरपी इंटर कॉलेज, रेलवे क्रासिंग, सागर चौकी, चंदकुआं चौराहा, स्टेट बैंक तिराहा, अमरचंद्र महेश्वरी इंटर कॉलेज, बजरिया पावर हाउस, बजरिया वाट स्कूल होते हुए ब्राह्मण महासभा परिसर तक निर्धारित किया गया है। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर जलपान की विशेष व्यवस्था की जाएगी। भव्य शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत भी किया जाएगा। शोभायात्रा में बैंड बाजों के साथ, सजे-धजे घोड़े, महापुरुषों के स्वरूप और भगवान परशुराम की सुसज्जित प्रतिमा रथ पर विराजमान होकर शोभायात्रा का आकर्षण बढ़ाएंगे। शोभायात्रा के समापन के बाद महासभा परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान परशुराम का अभिषेक किया जाएगा। इसके उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विप्र समाज के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान राघवेंद्र तिवारी, भास्कर दुवे, गौरव तिवारी, जयप्रकाश रावत, राजू थापक आदि उपस्थित रहे।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग से इनकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है. कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग से किया इनकार.आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की अदालत में याचिका दायर किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले आदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की ओर से दायर की गई याचिका का विरोध किया. खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया है. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट बेल की अवधि खत्म हो रही है. उन्होंने कहा इस देश में अनुच्छेद 21 है. उन्होंने कहा कि खेड़ा की आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज है, जिसमें स्थायी पता हैदराबाद का है।

'तेलंगाना में दायर याचिका में तो पता नहीं लिखा'

तुषार मेहता ने कहा कि गलत बयान मत दीजिए. आपका मामला यह है कि हैदराबाद में आपकी संपत्ति है.सिंघवी ने कहा कि मैं उनका बयान पढ़ रहा हूं. सिंघवी आदेश पढ़ते हैं. सिंघवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को संबंधित डॉक्यूमेंट सौंप दिया गया था. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि लेकिन डॉक्यूमेंट की जालसाजी.. सिंघवी ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी स्थायी रूप से हैदराबाद में रहती हैं. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि जमानत याचिका पर आइए. सिंघवी ने कहा कि इसीलिए सही डॉक्यूमेंट अदालत में सौंपा गया था. न्यायाधीश ने उसे मान्यता दी और दर्ज किया. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि तेलंगाना में दायर याचिका में तो पता तक नहीं लिखा था? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिनों के लिए बंद है और याचिका दायर करनी है. सिंघवी ने कहा कि अधिनियम में पारगमन जमानत का प्रावधान है. जस्टिस माहेश्वरी ने कहा लेकिन आप जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते।

'तेलंगाना याचिका जल्दबाजी में दायर की गई'

सिंघवी ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-तेलंगाना में क्यों? असम में क्यों नहीं? सिंघवी ने जवाब दिया

कि मैं मंगलवार तक अग्रिम जमानत चाहता हूं. ताकि, मैं असम में याचिका दायर कर सकूं. तेलंगाना याचिका जल्दबाजी में दायर की गई थी. बहस के दौरान इस ओर ध्यान दिलाया गया और सही डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तेलंगाना में विधायक पद की उम्मीदवार हैं. उनका हलफनामा भी उसी दिन दाखिल किया गया था. इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया. निज़ामुद्दीन में 100 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं. इस देश में अनुच्छेद 21 लागू है. वह आपको यह नहीं बताता कि सही डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है. यह सब पक्षपात है. सिंघवी ने कहा कि आज शुक्रवार है. मैं सोमवार को असम में फाइल कर रहा हूं. क्या आप लोग मंगलवार तक मेरा संरक्षण नहीं कर सकते? क्या मैं कोई शातिर अपराधी हूं? आप लोगों को गुमराह किया गया है. मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, मैंने गलत दस्तावेज दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इसे छोटी सी गलती कैसे कह सकते हैं? सिंघवी ने कहा कि उसी दिन, उसी सुनवाई में हमने सही डॉक्यूमेंट दाखिल किया था।

'असम में करें याचिका दाखिल'

सिंघवी ने कहा कि हमने याचिका में हुई गड़बड़ी के लिए माफी मांगते हुए सही दस्तावेज दाखिल किए थे. यह बात आपको बता देनी चाहिए थी, अदालत में गलती बताई गई थी. उन्होंने कहा कि जालसाजी करने के लिए आपराधिक इरादे की आवश्यकता होती है. मैं मंगलवार तक ट्रांजिट जमानत जारी रखने के लिए सुरक्षा का अनुरोध कर रहा हूं, जो आज समाप्त हो रही है. सिर्फ इसलिए कि मैंने मुख्यमंत्री को नाराज किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सौ लोगों को निजामुद्दीन भेज दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असम में याचिका दाखिल करें. अदालत उस पर सुनवाई करेगी. सिंघवी ने कहा कि मैं सोमवार को दाखिल कर रहा हूं. सिंघवी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे आज या कल दाखिल करने की अनुमति दें अदालत बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल का आदेश पारित हुआ था. आपने यह अर्जी कल दाखिल किया था. आपने इसे हाईकोर्ट में क्यों नहीं दाखिल किया? आप आज ही दाखिल करें. इस पर सुनवाई होगी।

KDA की एयरो सिटी योजना से पहले बिल्डरों का खेल, चकेरी में धड़ल्ले से बेचे जा रहे अवैध प्लॉट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। केडीए पिछले पांच साल से चकेरी क्षेत्र में एयरो सिटी बसाने की कवायद कर रहा है लेकिन अभी तक धरातल पर योजना नहीं ला पाया है। वहीं एयरपोर्ट चकेरी का 100 एकड़ पर विस्तार करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की कवायद हो रही है। बिल्डर एयरो सिटी और एयरपोर्ट चकेरी को देखाकर मवइया में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग करके बिक्री कर रहे है। न्यू कानपुर सिटी योजना जैसी स्थिति यहां पर भी नहीं हो जाए। योजना आने से पहले ही बिल्डरों ने प्लाटिंग करके केडीए की योजना दिखाकर जमीन बेच दी। बाद में खरीदार फंस गए। चकेरी में भी यहीं खेल चल रहा है। एयरपोर्ट चकेरी अभी 50 एकड़ जमीन पर है। इसका विस्तार करके 100 एकड़ और जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इसके लिए मवइया और शेखपुर में जमीन चिह्नित की गई है। साढ़े चार सौ करोड़ रुपये में योजना लाई जा रही है। वहीं केडीए चकेरी के पास 1257 एकड़ जमीन पर एयरो सिटी ला रहा है। एयरो सिटी एयरपोर्ट चकेरी के करीब होने के कारण इसको बिजनेस सिटी के रूप

में विकसित किया जा रहा है। इससे रोजगार और आय बढ़ेगी।

चार साल से योजना लाने की तैयारी

पिछले चार साल से योजना लाने की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट चकेरी के विस्तार और एयरो सिटी को देखते हुए बिल्डरों ने अभी से किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर बिना लेआउट के प्लाटिंग करके जमीन बेच रहे है। आठ हजार रुपये और 15 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 50 से लेकर दो सौ वर्ग मीटर के भूखंड बेचे जा रहे है। एयरपोर्ट चकेरी का विस्तार और आने वाली एयरो सिटी दिखाकर बिल्डर तेजी से प्लांट बेच रहे है। कई जगह प्लाटिंग हो रही है। प्लांट बेचने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा ले रहे है। इसी कड़ी में छतमरा चकेरी के पास आउटर रिंग रोड के आसपास बिल्डर अवैध प्लाटिंग करके भूखंड बेच रहे है।

भूखंड का नहीं करा रहे सत्यापन

अभी प्राधिकरण के अभियंताओं व सुपरवाइजरों को नहीं दिखाई दे रहा है। खरीदार भी केडीए के लगातार अपील के बाद भी भूखंड खरीदने से पहले सत्यापन नहीं करा रहे है। केडीए वर्ष 1996 से अभी तक सिंहपुर से मैनावती और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में न्यू कानपुर सिटी योजना नहीं ला पाया है लेकिन बिल्डरों ने केडीए की योजना दिखाकर अवैध प्लाटिंग करके जमीन बेच दी है। अब केडीए जमीन अधिग्रहण करने गई तो खरीदार फंस गए। जमीन पर प्राधिकरण ने कब्जा लेना शुरू कर दिया है। वहीं कई निर्माण हो चुके है।

यहां पर अवैध प्लाटिंग

इसी कड़ी में बारासिरोही, टिकरा, नानकारी , नौबस्ता, करहीं, श्यामनगर समेत कई जगह बिल्डर अवैध प्लाटिंग करने में जुटे है। हालांकि केडीए ने भी अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक 180 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लाटिंग गिराई जा चुकी है। उपाध्यक्ष ने आदेश दिए है कि किसी भी हाल में अवैध प्लाटिंग नहीं होने दी जाए। वहीं केडीए अभियंताओं व सुपरवाइजरों की मेहबानी से लोगों ने फुटपाथ तक को नहीं छोड़ा है। गुमटी गुरुद्वारे से 80 फीट रोड जाने वाले रास्ते में फुटपाथ में बीच में पिलर बनाकर रास्ता बंद कर दिया। क्षेत्रीय लोगों ने केडीए व नगर निगम में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही 80 फीट रोड से भदौरिया चौराहा जवाहर नगर के बीच में कई मानक के विपरीत निर्माण हो रहे है। इसके अलावा जीटी रोड से लगे जवाहर नगर क्षेत्र में सड़क तक छजा बना लिया है। बारादेवी के पास सील इमारत होने के बाद भी निर्माण चल रहा है। ऐसे ही पांडुनगर, किदवईनगर समेत कई जगह हलफनामा देने के बाद भी बिल्डरों ने अवैध हिस्सा नहीं गिराया है। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बिना लेआउट के हो रही प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां पर निर्माण हो रहे है वह भी गिराया जाएगा। अभियंता व सुपरवाइजरों की मिली भगत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

दो पक्षों में हुई लड़ाई झगड़े में दूसरी तरफ से भी दर्ज हुई एफआईआर

●कस्बे के रामकुंड कॉलोनी में दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद, मारपीट के सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वीडियो

एक दिन पहले एक पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी रिपोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)- दो दिन पहले कस्बे के रामकुंड कॉलोनी में हुई मारपीट की वारदात में अब पुलिस ने दूसरी तरफ से भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। एक दिन पहले कोतवाली पुलिस ने एक पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी, घर में घुसकर मारपीट और बलवा में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद व 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट व बलवा की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 15 अप्रैल की रात कस्बे के रामकुंड कॉलोनी में जरा से विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा की मामला छेड़खानी और बलवा तक जा पहुंचा। मारपीट के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस ने दोनों तरफ से मिली तहरीरों के आधार पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में एक महिला ने आरोप लगाया कि 15 अप्रैल की रात करीब आठ बजे पड़ोस में किराए पर रहने वाले अनु श्रीवास्तव अपने पुत्रों शुभम व ऋतिक उर्फ छोटू समेत करीब 15 लोगों के साथ उसके घर में घुस आए। उस समय वह घर पर अकेली थी। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज की, विरोध करने पर साड़ी खींचकर अभद्रता की। साथ ही बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस को तहरीर देकर अपने साथ घर के घुसकर मारपीट, छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया गया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का शांतिभंग में चालान किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में मंथन और राजनीति का नया दौर

लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश होने के साथ ही देश की राजनीति एक नए चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। इन विधेयकों पर चर्चा के लिए सदन में लंबा समय तय किया गया है और सभी दलों के रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का बड़ा प्रश्न बन चुका है। चर्चा के लिए पहले मतदान हुआ जिसमें बहुमत ने इस विषय पर बहस को मंजूरी दी और अब सभी दल अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में हैं।

यह पूरा घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून को संसद से मंजूरी मिली थी। उस समय इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था लेकिन इसके लागू होने की समयसीमा जनगणना और परिसीमन से जुड़ी शर्तों के कारण आगे खिसकती नजर आ रही थी। अब सरकार ने संशोधन के जरिए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लागू करने की समयसीमा को आगे लाने की कोशिश की है ताकि वर्ष 2029 के आम चुनावों तक इसका प्रभाव दिखाई दे सके।

नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने की योजना है। वर्तमान में यह संख्या 543 है। इस विस्तार के साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के स्वरूप का भी संकेत देता है क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल आ सकता है।

सरकार का तर्क है कि यह संशोधन सामाजिक न्याय और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार ऐसे बदलाव जरूरी होते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार यह भी स्पष्ट कर रही है कि परिसीमन की प्रक्रिया को नई जनगणना के बजाय 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिससे देरी कम हो और कानून जल्दी लागू हो सके।

वहीं विपक्ष ने इस पूरे प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण का वे समर्थन करते हैं लेकिन परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए राज्यों के बीच संतुलन बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और यह संघीय ढांचे के लिए चुनौती बन सकता है। कुछ नेताओं ने इसे समाज को वर्गों में बांटने की साजिश भी बताया है।

राजनीतिक बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसके जवाब में सरकार की ओर से यह कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और यह संभव नहीं है। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

इस पूरे विवाद में परिसीमन सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है। परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा था लेकिन अब इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के तहत संसद को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह तय करे कि किस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए।

इस बदलाव का असर राज्यों पर अलग अलग तरीके से पड़ सकता है। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों को सीटों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सीटों का अनुपात घट सकता है। यही कारण है कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों के नेताओं ने इसका विरोध किया है और इसे क्षेत्रीय असंतुलन की ओर कदम बताया है।

महिला आरक्षण के प्रभाव को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और कुल सदस्यों का लगभग चौदह प्रतिशत ही महिलाएं हैं। राज्यसभा में भी यह प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है और कई छोटे देश भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आगे हैं। ऐसे में यह कानून भारत को इस दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखता है।

हालांकि इसके साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। आरक्षित सीटों का रोटेशन हर चुनाव में होगा जिससे नेताओं को अपने क्षेत्र बदलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और अधिक संख्या में महिला उम्मीदवारों को तैयार करना होगा। यह बदलाव केवल कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन से ही सफल हो सकता है।

संविधान संशोधन होने के कारण इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि केवल साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई समर्थन जरूरी होगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास बहुमत है लेकिन दो तिहाई समर्थन के लिए उसे अन्य दलों से भी सहयोग लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि बैक चैनल बातचीत और राजनीतिक सहमति इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी।

महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है बल्कि यह पिछले तीन दशकों से चर्चा में रहा है। कई बार इसे संसद में पेश किया गया लेकिन विभिन्न कारणों से यह पारित नहीं हो सका। वर्ष 2010 में इसे राज्यसभा से मंजूरी मिली थी लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। अंततः वर्ष 2023 में इसे कानून का रूप मिला और अब संशोधन के जरिए इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि महिला आरक्षण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। इसके जरिए महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलेंगे और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि इसके साथ जुड़े विवाद और चुनौतियां भी कम नहीं हैं और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद इस पर किस तरह सहमति बनाती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह तय करेगा कि देश सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को किस हद तक लागू करने के लिए तैयार है। अगर यह सफल होता है तो यह आने वाले वर्षों में राजनीति के स्वरूप को बदल सकता है और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।

कांतिलाल मांडोत

मील का पत्थर साबित होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज लोकसभा के पटल पर चर्चा के लिए रख दिया गया है। यह भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश की राजनीति और भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका हमेशा से उल्लेखनीय रही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं ने संविधान के मसौदे को तैयार करने और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के बाद महिलाओं ने संसद में भी एंट्री ली। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफर में संसद की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव अंतिम चरण में है। यदि महिलाएं सशक्त देती हैं और देश के शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा। आधी आबादी को उनका हक मिलना सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम महिला आरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रमों और इसके कानूनी पेचीदगियों को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कानून की सबसे बड़ी और बुनियादी कमी इसका शर्तों में बंधा होना है। सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन इसके साथ एक ऐसी शर्त जोड़ दी जिसने इसे फिलहाल एक भविष्य का वादा बनाकर खेड़ दिया है। कानून के मुताबिक, आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी और उसके आधार पर सीटों का नया चंटवारा यानी परिसीमन होगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस असमानता को दूर करने का प्रयास है जो 1952 से लगातार चली आ रही है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती रही है, हालांकि यह अब भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंची है। पहली लोकसभा में 22 महिलाएं चुनी गई थीं, जो कुल सदस्यों का 4.4 प्रतिशत थीं। इसके बाद 1957 की दूसरी लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 27 (5.4 प्रतिशत) हो गई और 1962 की तीसरी लोकसभा में 34 महिलाएं (6.7 प्रतिशत) सदन तक पहुंचीं।

चौथी लोकसभा में यह संख्या थोड़ी घटकर 31 (5.9 प्रतिशत) रह गई, जबकि पांचवीं लोकसभा में केवल 22 महिलाएं (4.2 प्रतिशत) ही चुनी गई। इसके बाद छठी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी और कम होकर 19 (3.4 प्रतिशत) रह गई, लेकिन सातवीं लोकसभा में यह फिर बढ़कर 28 (5.1 प्रतिशत) हो गई। आठवीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और 44 महिलाएं (8.11 प्रतिशत) चुनी गई। हालांकि नौवीं लोकसभा में यह संख्या फिर घटकर 28 (5.3 प्रतिशत) रह गई, जबकि दसवीं लोकसभा में 36 महिलाएं (7 प्रतिशत) सांसद बनीं। इसके बाद 11वीं लोकसभा में 40 महिलाएं (7.4 प्रतिशत) और 12वीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8 प्रतिशत) चुनी गई। 13वीं लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 48 (8.8 प्रतिशत) हुआ, जबकि 14वीं लोकसभा में 45 महिलाएं (8.1 प्रतिशत) संसद पहुंचीं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी पहली बार दो अंकों में पहुंची, जब 59 महिलाएं (10.9 प्रतिशत) सांसद बनीं। 16वीं लोकसभा में यह संख्या और बढ़कर 62 हो गई, जो कुल संख्याबल का लगभग 11 प्रतिशत है। वहीं, 2019 की 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 रही जो कुल सांसदों का 14.3 प्रतिशत थी। वर्तमान 18वीं लोकसभा में मामूली बदलाव के साथ यह संख्या 74 पर है, जो पिछली बार से कम है। ' वर्तमान 18वीं लोकसभा में मामूली बदलाव के साथ यह संख्या 74 पर है, जो पिछली बार से कम है। कुल मिला कर यह वृद्धि सुखद तो है, लेकिन भारत की उस आधी आबादी की आकांक्षाओं के सामने नाकाफी है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में बराबर की हिस्सेदार है। हालांकि, साल 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन ने महिला आरक्षण की राह को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। सरकार की नई योजना के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 की जा सकती है। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, क्योंकि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने जा रही है। कानून के आने से ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या एक साथ लगभग 200 की बढ़त दर्ज करेगी। महिला आरक्षण के लागू होने से केवल संख्या बल नहीं बदलेगा, बल्कि विधायी प्रक्रिया और नीति-निर्माण के मुद्दों में भी व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर सदन के भीतर अब और अधिक प्रखर और संवेदनशील बहसें देखने को मिलेंगी।जानकारों का मानना है कि इस लंबी प्रक्रिया के कारण यह आरक्षण 2029 या शायद 2034 तक खिंच सकता है। सवाल यह उठता है कि अगर नीयत साफ थी, तो इसे तुरंत मौजूदा सीटों पर ही क्यों लागू नहीं किया गया? जनगणना और परिसीमन जैसी उलझी हुई प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर सरकार ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, जिसकी मंजिल का फिलहाल कोई पता नहीं है। जैसे ही सरकार सीटों के नए बंटवारे की बात करती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बढ़ जाती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले कई सालों में जनसंख्या को काबू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब तकनीकी दिक्कत यह है कि यदि सीटों का फैसला केवल आबादी के आधार पर होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण का राजनीतिक बजन कम हो जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सीटें अस्सी प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण में यह बढ़ोतरी बहुत कम होगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि उन्हें अच्छा काम करने की सजा दी जा रही है। सरकार ने इस क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने का कोई पका रास्ता बताए बिना ही महिला आरक्षण को सीटों के बंटवारे से जोड़ दिया। इससे यह डर पैदा हो गया है कि महिलाओं को हक देने के नाम पर कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच का तालमेल ही न बिगड़ जाए। इस बिल की एक और बड़ी व्यावहारिक चिंता प्रॉक्सी संस्कृति और रसूखदार राजनीतिक घरानों का कब्जा है।

मनोज कुमार अग्रवाल

जनसंख्या बनाम विकास: लोकसभा पुनर्गठन की असली चुनौती

[लोकसभा विस्तार: क्या यह सुधार है या संतुलन की नई परीक्षा?]

[लोकसभा विस्तार का द्वंद्व: प्रतिनिधित्व का न्याय या जनसंख्या का दबाव?]

भारत की संसदीय व्यवस्था इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां लिया गया निर्णय आने वाले दशकों की राजनीति, नीतियों और प्रतिनिधित्व की दिशा तय करेगा। लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 (815 राज्य व 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) करने का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के गणित और भूगोल–दोनों को बदलने वाला कदम है। सवाल सीधा है, पर इसका उत्तर जटिल–क्या इससे आम मतदाता की ताकत वास्तव में बढ़ेगी या बड़े राज्यों का राजनीतिक प्रभाव और गहरा होगा? यही वजह है कि यह बहस अब संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर उस नागरिक तक पहुंच गई है, जो चाहता है कि उसका वोट सिर्फ गिना ही नहीं, बल्कि असर भी दिखाए। सरकार का तर्क सीधा और ठोस है कि बढ़ती आबादी के साथ प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाना अब अनिवार्य हो चुका है। मौजूदा स्थिति में एक सांसद पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ है, जिससे स्थानीय समस्याएं अक्सर राष्ट्रीय बहस में दब जाती हैं। प्रस्तावित योजना के तहत सीटों को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाकर अधिकतम 850 करने से प्रत्येक सांसद कम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे जनता और प्रतिनिधि के बीच दूरी घटेगी, संवाद सशक्त होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे नीतियों का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। साथ ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने के लिए यह विस्तार एक ठोस आधार के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीति में लैंगिक संतुलन को मजबूत कर सकता है। इस प्रस्ताव का एक ऐसा पक्ष भी है, जो गहरी चिंता पैदा करता है और जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों ने लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसका असर यह होगा कि दक्षिण के राज्यों का संसद में सापेक्षिक प्रभाव घट सकता है। यह स्थिति एक असंतुलन पैदा करती है, जहां विकास और बेहतर शासन का परिणाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी बनकर सामने आता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी राज्य की मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी, फिर भी दक्षिण के राज्यों को अपने प्रभाव में कमी की आशंका है।

यदि इसे आम नागरिक की नजर से परखा जाए, तो इस बदलाव के भीतर कई ठोस संभावनाएं दिखाई देती हैं। सीटों में वृद्धि का मतलब है कि संसद में अधिक विविधता आएगी और अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से उठ सकेंगी। ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पिछड़े वर्गों को अपनी बात रखने के लिए व्यापक मंच मिलेगा। महिला आरक्षण के जरिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को नई प्राथमिकता मिल सकती है। यह बदलाव उन वर्गों के लिए अवसर का द्वार खोल सकता है, जो अब तक निर्णय प्रक्रिया में सीमित दायरे में ही रह गए थे। असल चिंता यहीं से शुरू होती है–क्या केवल सीटों की संख्या बढ़ा देने से प्रतिनिधित्व वास्तव में सशक्त हो जाएगा? यह मान लेना एक सरलीकृत दृष्टि होगी। प्रतिनिधित्व सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि संतुलन और न्यायपूर्ण भागीदारी का भी प्रश्न है। जब किसी एक क्षेत्र का प्रभाव असामान्य रूप से बढ़ता है, तो नीति निर्माण का झुकाव भी उसी दिशा में होने लगता है। इसका सीधा असर संसाधनों के वितरण, बजट आवंटन और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं और गहरी हो सकती हैं। दक्षिण के राज्यों की मुख्य चिंता यही है कि उनका आर्थिक योगदान और सामाजिक उपलब्धियां राजनीतिक फैसलों में अपेक्षित महत्व नहीं पा सकेंगी।

यहीं से एक रचनात्मक और संतुलित समाधान की मांग उभरती है, जहां विपक्ष और कई क्षेत्रीय दल इस प्रस्ताव को केवल संख्या नहीं, बल्कि व्यापक न्याय के दृष्टिकोण से देखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें विकास के ठोस मानकों को भी शामिल करना जरूरी है। साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या नियंत्रण जैसे प्रयासों को प्रतिनिधित्व निर्धारण में उचित महत्व मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस बात को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि गुणवत्ता, जवाबदेही और संतुलित भागीदारी की एक मजबूत व्यवस्था भी है। निर्णायक दौर में नीतियों की असली कसौटी सामने आती है और यह विमर्श भी उसी पर खरा उतरने की मांग करता है, जहाँ स्थायी व न्यायपूर्ण समाधान संतुलन में निहित है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, लेकिन संघीय ढांचे और राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। यदि परिसीमन में दोनों को समान महत्व मिला, तो यह बदलाव लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ और समावेशी बना सकता है, अन्यथा असंतुलन बढ़ सकता है। उनका मानना है कि परिसीमन केवल जनसंख्या पर आधारित न होकर आर्थिक योगदान, साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मानकों को भी महत्व दे, ताकि विकासशील राज्यों की प्रगति को उचित सम्मान मिल सके।

अब निर्णायक सवाल यह है कि अधिकतम 850 सीटों वाली लोकसभा देश को संतुलित प्रतिनिधित्व की ओर ले जाएगी या असंतुलन की ओर। यह प्रस्ताव न पूरी तरह लाभकारी है, न हानिकारक; इसका परिणाम इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि सभी राज्यों की चिंताओं को स्थान देकर प्रतिनिधित्व को संतुलित ढंग से पुनर्गठित किया गया, तो यह आम नागरिक के वोट को वास्तविक ताकत दे सकता है। लेकिन यदि यह केवल जनसंख्या के गणित तक सीमित रहा, तो बड़े राज्यों का वर्चस्व बढ़ने का खतरा रहेगा। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हर नागरिक महसूस करे कि उसकी आवाज का समान महत्व है और उसका वोट केवल संख्या नहीं, बल्कि प्रभाव का प्रतीक है।

डोनाल्ड ट्रंप अनिश्चित और अप्रत्याशित राजनेता

अनिश्चित परिणामों से भरी ट्रंप के साथ वैश्विक देशों की कूटनीति।

डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर जितना प्रभावशाली रहा है, उतना ही विवादों और विरोधाभासों से घिरा हुआ भी रहा है, विशेषकर उनके कार्यकाल (2017-2021) के दौरान और वैश्विक तनावों के संदर्भ में उनके बयानों ने बार-बार यह संकेत दिया कि उनकी नीति और वक्तव्य अक्सर एक-दूसरे के विपरीत दिशा में चलते दिखाई देते हैं, ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अमेरिका पहले की नीति को प्राथमिकता दी, जिसका अर्थ था कि अमेरिका अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा, इसी नीति के तहत उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से 2018 में अमेरिका को अलग कर लिया, जबकि यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता था।इस फैसले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और ट्रंप ने एक ओर कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते, वहीं दूसरी ओर उनके सैन्य फैसले इस दिशा में बढ़ते दिखे, यही विरोधाभास उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान बन गया, उत्तर कोरिया के संदर्भ में भी उनका रवैया इसी प्रकार का रहा, उन्होंने पहले किम जोंग-उन को लिटिल रॉकेट मैन बोल कर धमकाया, फिर अचानक शांति वार्ता शुरू कर दी और 2018 में सिंगापुर शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक मुलाकात की, हालांकि इस कूटनीतिक पहल से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन उनके बयान लगातार बदलते रहे, कभी वे युद्ध की चेतावनी देते तो कभी दोस्ती की बात करते, इसी तरह चिंता साथ उनका व्यापार युद्ध भी उनके बयानों का केंद्र रहा, उन्होंने चीन पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाते हुए भारी टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर वे कई बार शी जीन पिंग की प्रशंसा करते नजर आए, यह आदत उनकी नेतृत्व शैली का स्थायी तत्व बन गया, सिरियन सिविल वॉर के दौरान भी ट्रंप ने पहले अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की, फिर अचानक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, 2017 और 2018 में उन्होंने सीरिया पर मिसाइल हमले किए, जबकि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका को अंतहीन युद्धों।से बाहर निकालने का वादा किया था। अफगानिस्तान में भी उन्होंने तालिबान के साथ वार्ता शुरू की, लेकिन कई बार अपने ही फैसलों से पीछे हटते दिखाई दिए, इन सबके बीच उनकी बयानबाजी ने वैश्विक मंच पर असमंजस की स्थिति पैदा की, ट्रंप के वक्तव्यों की एक विशेषता यह रही कि वे अक्सर सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर के माध्यम से अचानक और बिना कूटनीतिक भाषा के अपनी बात रखते थे, जिससे कई बार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव और बढ़ जाता था, उदाहरण के तौर पर उन्होंने ईरान को फायर एंड फ्यूरी जैसी चेतावनी दी, वहीं कुछ ही समय बाद वार्ता की इच्छा भी जताई, यही तर्ज में रूस के संदर्भ में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने पुतिन साथ अपने संबंधों को सकारात्मक बताया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में रूस को खतरा बताया गया, इस विरोधाभास ने अमेरिकी राजनीति में भी गहरी बहस को जन्म दिया, कुल मिलाकर ट्रंप का कार्यकाल यह दर्शाता है कि उनकी विदेश नीति और युद्ध से जुड़े बयान अक्सर रणनीतिक स्पष्टता के बजाय व्यक्तिगत शैली और तात्कालिक प्रतिक्रिया पर आधारित थे। एक ओर वे खुद को शांति का समर्थक बताते रहे और नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा भी जताते रहे, वहीं दूसरी ओर उनके कई फैसलों ने वैश्विक तनाव को बढ़ाया, यही कारण है कि उनके आलोचक उन्हें अनिश्चित और अप्रत्याशित नेता मानते हैं, जबकि समर्थक इसे उनकी अलग सोच और निर्भीक नेतृत्व का प्रतीक बताते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उनके बयानों और निर्णयों ने विश्व राजनीति में एक नई तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता को जन्म दिया, जो आज भी वैश्विक कूटनीति में महसूस की जाती है

संजीव ठाकुर

लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का भविष्य

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के स्तर पर यह लंबे समय तक आधा अधूरा रहा है क्योंकि जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हो पाई हैं। इसी ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2023 में पारित संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण शामिल है। यह कानून लगभग 27 वर्षों से चल रही बहस और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। 19 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 तथा 21 सितंबर को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संविधान का हिस्सा बन गया। यह घटना न केवल विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह इस बात का संकेत भी थी कि भारतीय राजनीति अब महिलाओं की भागीदारी को एक संरचनात्मक आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर रही है। हालांकि इस अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। आज लोकसभा की 543 सीटों में से केवल 74 सीटों पर महिलाएं हैं, जो लगभग 13.6 प्रतिशत है। यह संख्या 2019 के 78 से थोड़ी कम है। वहीं देशभर में कुल 4666 सांसदों और विधायकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 8360 उम्मीदवारों में केवल 797 महिलाएं थीं, यानी लगभग 9.6 प्रतिशत, और लगभग 28 प्रतिशत सीटों पर कोई महिला प्रत्याशी ही नहीं था। यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अभी भी संरचनात्मक बाधाओं से घिरी हुई है। इसके विपरीत यदि पंचायती राज संस्थाओं को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां महिलाओं की भागीदारी लगभग 46.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और कई राज्यों में यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है। उत्तराखंड लगभग 56 प्रतिशत के साथ अग्रणी है, जबकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जब आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाता है तो महिलाएं न केवल प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं बल्कि प्रभावी नेतृत्व भी प्रस्तुत करती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1957 में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 5.46 प्रतिशत थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 2024 में 13.6 प्रतिशत तक पहुंची है। यह वृद्धि महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। वैश्विक तुलना में भी भारत पीछे है। रवांडा में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 64 प्रतिशत है, क्यूबा में 53 प्रतिशत, निकारागुआ में 52 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत। इस परिप्रेक्ष्य में भारत का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम है, जो यह दर्शाता है कि केवल लोकतांत्रिक ढांचा पर्याप्त नहीं है, बल्कि समावेशी नीतियों की भी आवश्यकता होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी शर्तें इसे जटिल बना देती हैं। अधिनियम में जोड़ा गया अनुच्छेद 334 यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसका अर्थ यह है कि कानून पारित होने के बावजूद इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा। यही बिंदु इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी बना हुआ है। 2021 की जनगणना पहले ही टल चुकी है और अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि नई जनगणना 2026 के बाद होगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी समय लेगी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिलाओं का आरक्षण 2029 या उससे भी बाद के चुनावों में लागू हो सकता है। इस देरी को कई विशेषज्ञ न्याय में विलंब के रूप में देखते हैं।

हालांकि सरकार और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के सीटों का पुनर्वितरण करना उचित नहीं होगा। संविधान के अनुसार परिसीमन एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि प्रतिनिधित्व समान और संतुलित रहे। यदि पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू किया जाता है तो भविष्य में इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार यह बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। इस अधिनियम के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, वह है संघीय संतुलन। परिसीमन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करती है, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात बदल सकता है। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें यह आशंका है कि उनकी सीटें घट सकती हैं जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती हैं। यह स्थिति राजनीतिक तनाव को जन्म दे सकती है और संघीय ढांचे को चुनौती दे सकती है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी यह अधिनियम पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसे अधूरा कदम मानते हैं और OBC महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं। यह मुद्दा भविष्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।

इसके अतिरिक्त यह अधिनियम केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक सीमित है। राज्यसभा और विधान परिषद जैसे उच्च सदनों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सुधार वास्तव में व्यापक है या केवल आंशिक। व्यावहारिक स्तर पर भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को टिकट देने की प्रवृत्ति अभी भी सीमित है। चुनावी फंडिंग, संगठनात्मक समर्थन और नेतृत्व प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कम है। पंचायत स्तर पर देखे गए प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के उदाहरण, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन निर्णय लेते हैं, यह भी एक संभावित खतरा है। फिर भी इस अधिनियम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह भारतीय लोकतंत्र में एक संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यह अधिनियम उस अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास है। इस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सिद्धांत रूप में अत्यंत प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहार में कई जटिलताओं से घिरा हुआ है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है। यदि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर लिया जाता है और राजनीतिक इच्छाशक्ति बनी रहती है, तो यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बना सकता है। अन्यथा यह केवल एक अधूरी संभावना बनकर रह सकता है।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

रमुवापुर मुक्ति धाम में जलभराव से जल्द मिलेगी राहत

निरीक्षण के बाद ईओ ने दिया आश्वासन

महमूदाबाद-सीतापुर। वर्षो से जलभराव की समस्या से जूझ रहा रमुवापुर मुक्ति धाम का मामला अब समाधान की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय नागरिक अनुज जैन के आग्रह पर नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी पवन किशोर ने मौके पर पहुंचकर समस्या का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिशाषी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मुक्ति धाम स्थित तालाब के टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। आगामी मई माह से तालाब का मुक्ति धाम का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिससे जलभराव की पुरानी समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित यह समस्या अब स्थायी रूप से समाप्त हो सकेगी। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष कमलेश राजपूत, रामनिवास गुप्ता, बाबा गणेश शंकर,श्याम त्रिपाठी और नगरपालिका लिपिक रामनरेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

महमूदाबाद के सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल का हाईस्कूल परिणाम शत-प्रतिशत

स्वास्तिक शर्मा ने 95.4% के साथ किया टॉप

महमूदाबाद- सीतापुर गत 15 अप्रैल 2026 को घोषित कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, महमूदाबाद का प्रदर्शन शानदार रहा। विद्यालय का परीक्षा परिणाम लगभग शत-प्रतिशत रहा, जिसमें सभी 39 छात्र-छात्राएं सफल घोषित हुए। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस वर्ष 10 से अधिक विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में स्वास्तिक शर्मा ने 95.4% अंक हासिल कर टॉप किया। विषयवार उच्चतम अंकों की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी में 100 अंक, हिंदी में 95, अंग्रेजी में 91, सामाजिक विज्ञान में 97, विज्ञान में 95 तथा गणित में 91 अंक प्राप्त किए गए। विद्यालय की इस उपलब्धि पर अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, निदेशक आशीष कुमार गुप्ता तथा प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी विद्यालय के छात्र अपनी प्रतिभा का परचम लहराते रहेंगे। विद्यालय प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय अभिभावकों के सहयोग और विश्वास को देते हुए उनका भी आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए: सीएमओ

सिद्धार्थनगर/उसका बाजार कस्बा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार पर गुरुवार को आशा समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएमओ रजत चौरसिया ने आशा संगिनी द्वारा शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दिया उन्होंने कहा की सरकार द्वारा सुरक्षित प्रसव के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सभी आशा आम जन को जागरूक करके संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रेरित करे। आशा को लक्ष्य के सापेक्ष संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया गया। सीएमओ ने सभी पात्र का आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड बनवाने का भी संबंधित को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य सेवाओं का का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके लिए सभी लोग सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएमओ ने 10 से कम प्रसव कराने वाली आशा को चिन्हित करके कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया है तथा ब्लॉक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसव कराने वाली कुल 6 आशाओं को सम्मानित भी किया गया। अधीक्षक डा एस के पटेल ने मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु,गोल्डन आयुष्मान कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी और इसके प्रति सभी को जागरूक करने को कहा है। इस अवसर पर डॉ राम गुलाम सिंह, बीपीएम मनीष पाण्डेय, कृष्ण मोहन पाण्डेय, राजेश सिंह, रमेश भास्कर, अशोक आदि रहे।

ऑल इंडिया ओलिम्पियाड में अवनीश का कमाल,जिले में चौथा स्थान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली) सरेनी।क्षेत्र के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एस.एम. सिंह सरस्वती विद्या मंदिर ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक गुणवत्ता का परिचय देते हुए जिले का मान बढ़ाया है।विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र अवनीश कुमार अवस्थी पुत्र संजय कुमार अवस्थी निवासी धूरेमऊ ने ऑल इंडिया ओलिम्पियाड परीक्षा में लाखों प्रतिभागियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।अवनीश की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में हर्ष का माहौल है,बल्कि विद्यालय एवं पूरे क्षेत्र में गर्व की अनुभूति हो रही है।विद्यालय प्रांगण में आयोजित एक सादे लेकिन गरिमामय सम्मान समारोह में प्रधानाचार्य मंजय सिंह एवं व्यवस्थापक अंजय सिंह ने छात्र को माल्यार्पण कर सम्मानित किया और उसके उज्वल भविष्य की कामना की।इस अवसर पर प्रधानाचार्य मंजय सिंह ने कहा कि एस.एम. सिंह सरस्वती विद्या मंदिर केवल पाठ्यक्रम तक सीमित शिक्षा नहीं देता,बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। अनुशासन, संस्कार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही हमारी पहचान है।अवनीश की सफलता हमारे शिक्षकों की मेहनत और विद्यालय के सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का परिणाम है।वहीं व्यवस्थापक अंजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा विद्यालय विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए प्रारंभ से ही तैयार करता है।यहां योग्य एवं अनुभवी

शिक्षकों द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाता है।अवनीश की उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे छात्र इसी प्रकार विद्यालय और जिले का नाम रोशन करते रहेंगे।विद्यालय के शिक्षकों ने भी अवनीश की लगन,मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र रहा है। उसकी सफलता यह दर्शाती है कि यदि सही मार्गदर्शन और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद एस.एम. सिंह सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाओं में महेंद्र, गायत्री, सावित्री, जितेंद्र, रोशन, सविता, आंचल, सेजल, अनामिका, प्रियांशी, अंजली, साक्षी, अकबाल, शिवम, शिवांगी, कोमल प्रथम,अतीश, अनन्या, दिलीप, अर्चना, विकास, उपेंद्र, पवन, सचिन, रामकुमार, योगेंद्र, कोमल द्वितीय, नीरज, देव आदि मौजूद रहे।

आर एस कान्वेंट स्कूल का टापर बना कन्हैया लाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गाजीपुर। आर एस कान्वेंट स्कूल का टापर बना कन्हैया लाल प्रजापति गाज़ीपुर-आर एस कान्वेंट स्कूल बाराचवंर के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं की परीक्षा मे शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया। गुरूवार की सुबह स्कूल के सभागार मे विद्यार्थियों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। जिसमें कन्हैया लाल प्रजापति 87%, ओमजी 86.8%, अस्वीत जायसवाल 86.6%, रूद्रप्रताप 82.4%, गौरव सिंह कुशवाहा 72%, नितिन सिंह70.6%, प्रज्ञा तिवारी 67.8%, अदिति यादव65.4%, आयशा सिद्दीकी 64.4%, जोया मकसूद 62%, कृष्णानंद 54.8%, ज्योति कुशबाहा59.8%, राजबहादुर सिंह 57.6% स्कूल का शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक ने छात्र-छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यार्थियो ,शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई के साथ उनके उज्वल भविष्य की कामना किया। प्रधानाचार्य जितेन्द्र यादव ने सभी सफल छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि 'यह परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है।

कार्यालय ग्राम पंचायत रेवामऊ वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत रेवामऊ विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम- ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार, प्रति घन मीटर, सरिया तार एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान रेवामऊ
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव रेवामऊ
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत पर दौलतपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत दौलतपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम- ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान दौलतपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव दौलतपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत पर परसहिया वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत परसहिया विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम - ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान परसहिया
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव परसहिया
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत पहाड़पुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत पहाड़पुर विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम - ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार, प्रति घन मीटर, सरिया तार एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान पहाड़पुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव पहाड़पुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत पर जलालपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत जलालपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम- ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान जलालपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव जलालपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलालपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत गुलालपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम - ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू- टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान गुलालपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव गुलालपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत गोधना वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत गोधना विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम- ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार, प्रति घन मीटर, सरिया तार एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू - टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान गोधना
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव गोधना
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत पर बीबीपुर वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत बीबीपुर विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम- ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर,इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू - टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान बीबीपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव बीबीपुर
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

कार्यालय ग्राम पंचायत कुम्हरावा वि0ख0 बीकेटी लखनऊ

पत्रांक-मेमो/ग्रा0पं0/निविदा/कोटेशन सूचना/2026-27 दिनांक 16/4/2026

वार्षिक निविदा

ग्राम पंचायत कुम्हरावा विकास खंड बक्शी का तालाब में राज्य वित्त/पंचम ,छठा वित्त/15,16वां वित्त/मनरेगा,VB.G RAM G,मुख्यमंत्री पुरस्कृत योजना कार्य अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्राप्त धनराशि से होने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निविदा/कोटेशन दरें छपने की दिनांक 18/ 4 /2026 से 28/4/2026 दिन तक आमंत्रित की जाती है। जो अगले दिन अपरान्ह 3 बजें निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली व निरस्त की जायेगी।

सामग्री का नाम - ईट खड़ंजा, भवन हेतु द्वितीय श्रेणी एवं एसओबी, प्रति हजार, सीमेंट पोर्ट लैंड वाइट सीमेंट प्रतिबोर, इंट की गिट्टी 20,40 एमएम व पत्थर मिट्टी 22, 4एम एम से 53 एम एम तक कोटा स्टोन प्रतिघ घन मीटर, सफेद बालू फाइन सैंड, प्रति घन मीटर, लाल बालू कोरस सैंड, प्रति घन मीटर, डाला गिट्टी 20,40 एमएम, स्टोन ब्लास्ट साइजअनुसार प्रति घन मीटर, सरिया तार ,एम्बेसडर सीट फैनसीट दरवाजा प्लास्टिक शीट, प्रति नग, शौचालय निर्माण सामग्री, प्रति सेट, हैंडपंप सामग्री मरम्मत एवं रिबोर हेतु, प्रति नग, ह्यूम पाइप 150, 200, 300, 350, 600, 900 एम एम, प्रति रनिंग मीटर, साइन बोर्ड पीवीसी पाइप, प्रति रनिंग मीटर, सीमेंट की ईट पत्थर की पटिया साइजानुसार, प्रति हजार स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट साइज ऑफ वाट के अनुसार विद्युत, टाइल्स साइज के अनुसार, प्रति पेटी, इंटरलॉकिंग ईट पेवर्स ब्लॉक इंट सीमेंट बेंच डेस्क बेंच स्वच्छता हेतु सामग्री, प्रति नग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट डिस्टेंपर, प्रति किलो ग्राम हाटीकल्चर सहित सामग्री इत्यादि।

नियम व शर्ते लागू - टेंडर फार्म उपरोक्त कार्यालय दिवस में 100 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा में सम्मिलित दर सभी कर सहित एवं लोक निर्माण विभाग की स्वीकृक्ति दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे विवरण एवं सामग्री संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति कार्य स्वीकृत होने के उपरांत की जाएगी। आयकर व बिक्री दर नियमानुसार कटौती की जाएगी। समस्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। अनुबंध स्वीकृत होने कम उपरांत दर संशोधित होने तक अथवा 30/3/2027 तक आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

ग्राम प्रधान कुम्हरावा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

ग्राम सचिव कुम्हरावा
विकास खंड बीकेटी लखनऊ

संक्षिप्त खबरें

दुबारा गिरा धेमाजी नीलक में निर्माणाधीन पुल का गर्डर, शिवम इंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

असम धेमाजी। धेमाजी जिले में नीलक गाई नदी पर बन रहे ब्रिज की गार्डर आज दूसरी बार गिर जाने से इलाके में अफरातफरी लग गई। खबर अनुसार शिवम इंस्ट्रक्शन को 56 करोड़ रुपये की लागत से गाई नदी पर ब्रिज बनाने का टेंडर मिला था। इस ब्रिज से लोगों को नतुन बालिजान सीलापथार और निलखा के बीच सड़क संपर्क में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि, पुल का निर्माण कार्य संपन्न होने से पहले दुबारा गार्डर गिर गया। बिहू का पहला दिन घटना का खबर फैलते ही लोगों में फ़िर से चर्चा होने लगी है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों के उपर से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के सवाल खड़े कर असम जातीयताबादी युवा परिषद् ने सरकार एवं जिला प्रशासन को एक हफ्ते के अंदर घटना के जांस कर बार बार पुल के गार्डर गिरने के कारण लोगों को बताने के लिए अपील किया। और गड़बड़ी दिखाई देने पर शिवम इंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग।

श्रीभूमि जिला के डुल्लभछड़ भेटारबंद गांव में लंबे समय से बिजली संकट, लोगों में गुस्सा

विभागीय अधिकारी पर लापरवाही का आरोप।

श्रीभूमिः श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भेटारबंद ग्रामीण इलाके के निवासियों ने (APDCL/ASEB) के खिलाफ कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डुल्लभछड़ा बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार लोडशेडिंग कर रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों की दैनिक जीवनशैली गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, विशेष रूप से तापमान में बदलाव के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। कई मामलों में दिन भर में केवल 2 से 3 घंटे ही बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। स्थानीय नागरिकों का कहना है, 'हम नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, इसके बावजूद हमें हमारी वैध सेवाओं से वंचित रखा जा रहा है। इस तरह की अव्यवस्था ग्राहकों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाती है।' लोगों का मानना है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कुप्रबंधन और जिम्मेदारी की कमी का परिणाम है। उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान निकालने और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही, स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

चौकी केशवाही पुलिस की कार्यवाही, अपहृत नाबालिग बालिका को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश शहडोल चौकी केशवाही थाना बुढार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 14.04.2026 को फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री, जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, दिनांक 13.04.2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे स्कूल से रिजल्ट लेने के बहाने घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब बालिका का पता नहीं चला, तो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेह में धारा बीएनएस (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चौकी केशवाही पुलिस टीम द्वारा त्वरित घेराबंदी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। नाबालिग बालिका को दिनांक 14.04.2026 को सकुशल दस्तयाब किया। दिनांक 15.04.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष बालिका के कथन दर्ज कराए गए। बयानों के आधार पर प्रकरण में धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी (विधि विरुद्ध बालक) को पुलिस टीम ने दबिश देकर दिनांक 16.04.2026 को माननीय किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बुढार जिला शहडोल के नेतृत्व में, चौकी केशवाही प्रभारी उनि. गंगा सिंह, सउनि. संतोष सिंह, आर. उमेश राठौर एवं म.आर. कल्पना धुर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारत की सीक्रेट डील, 3.5 अरब में खरीद रहा जासूसी विमान

अगर तुलना करें तो 2009 से भारत ने आठ विमान सिर्फ ,1 अरब डॉलर में खरीदे थे। यानी उस समय प्रति विमान लागत लगभग आधी थी तो अब कीमत दोगुनी की क्यों हो गई है। दरअसल अमेरिका की कंपनी बोइंग का कहना है कि सप्लाई चेन में दिक्कतें आई।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

क्या भारत चुपचाप एक ऐसी डील करने जा रहा है जो हिंद महासागर में ताकत का पूरा गेम बदल देगा। 3.5 अरब डॉलर यानी लगभग ,00 करोड़ और बदले में मिलेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक सबसे घातक जासूसी विमान। भारत खरीदने जा रहा है छह नए क्8द्ध पोसाइडन विमान। दरअसल भारत सरकार अब नौसेना को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से छह अतिरिक्त पीएआई पोसाइडन एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। यह डील करीब 3.5 अरब डॉलर की बताई जा रही है और इसे फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स यानी कि एफएमएस रूट के जरिए पूरा किया जाएगा। इसका मतलब सरकार से सरकार की डील, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की डील और सीधी बात और हाई लेवल अप्रूवल। और सूत्र बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच इस डील पर करीब एक साल से बातचीत चल रही है और अब इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। लेकिन यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल तो खड़ा होगा कि आखिर इतनी बड़ी कीमत क्यों? दरअसल एक पीएटीआई विमान की कीमत जान लीजिए जो लगभग ,500 से ,600 मिलियन की बताई जा रही है।

अगर तुलना करें तो 2009 से भारत ने आठ विमान सिर्फ ,1 अरब डॉलर में खरीदे थे। यानी उस समय प्रति विमान लागत लगभग आधी थी तो अब कीमत दोगुनी की क्यों हो गई है। दरअसल अमेरिका की कंपनी बोइंग का कहना है कि सप्लाई चेन में दिक्कतें आई। महंगाई और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण लागत बढ़ गई है। लेकिन भारतीय पक्ष का मानना है कि यह कीमत काफी ज्यादा है। फिर भी भारत इस डील को आगे बढ़ा रहा है। क्यों? दरअसल पीएद्ब पोसाइडन कोई साधारण विमान नहीं है। यह एक मल्टी रोल मैरिटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जो कई खतरनाक मिशन एक साथ कर सकता है। समुद्र में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। पनडुब्बियों को ढूंढना और नष्ट करना, दुश्मन जहाजों को ट्रैक करना और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाना। इसमें लगे होते हैं एडवांस रडार सिस्टम, लॉन्ग रेंज सेंसर और एंटी सबमरीन हथियार। सबसे खास बात यह हजारों किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है और भारत के लिए इसका मतलब है हिंद अब इस डील का असली एंगल समझिए।

पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी है। चीनी नौसेना के जहाज और यहां तक कि पनडुब्बियां भी भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास देखी जा रही हैं। ऐसे में भारत को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो हर मूवमेंट पर नजर रख सके। यहीं पर पीएआई गेम बदल देता है। दरअसल लद्दाख में चीन के साथ तनाव के दौरान भारत ने इन विमानों को पहाड़ों में भी इस्तेमाल किया था। यानी यह सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर भी निगरानी कर सकते हैं। अब अगला कदम है कैबिनेट कमेटी की मंजूरी। अगर वहां से हरी झंडी मिल गई तो यह डील लॉक हो जाएगी।

डिमापुर से बेंगलुरु जा रहे 17 वर्षीय किशोर की रहस्यमयी मौत

● तमिलनाडु के जलालपेट स्टेशन के पास मिला शव क्षेत्र में शोक का माहौल।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः एक हृदयविदारक और रहस्यमयी घटना में 17 वर्षीय किशोर की असामयिक मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। मृतक की पहचान एम. रहीम (17) के रूप में हुई है, जो असम श्रीभूमि जिला के बदरपुर थाना क्षेत्र के आलेखारगोल गांव के निवासी अब्दुल कलाम के पुत्र थे। परिवार के अनुसार, रहीम गत 10 अप्रैल को डिमापुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ था। रोजगार की तलाश में वह दक्षिण भारत जा रहा था। यात्रा के दौरान वह लगातार अपने परिवार के संपर्क में था, लेकिन अचानक उसका संपर्क टूट गया, जिससे परिवार चिंतित हो गया। बाद में जानकारी मिली कि तमिलनाडु के जलालपेट रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात युवक का शव रेलवे पुलिस (जीआरपीएफ) ने बरामद किया। जांच के बाद शव की पहचान एम. रहीम के रूप में की गई। यह खबर मिलते ही परिवार और स्थानीय लोगों में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजनों ने बताया कि रहीम को गत 13 अप्रैल तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाना था, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह हादसा है, या कोई अन्य कारण–इस पर अब भी रहस्य बना हुआ है।

प्रशासन के अनुसार, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आज 16 अप्रैल गुरुवार को शव को चेन्नई हवाई अड्डे के माध्यम से सिलचर लाने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन की सहायता से शव को परिवार को सौंपने की तैयारी चल रही है। इस घटना से इलाके में गहरा शोक और आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही, रोजगार के लिए दूर-दराज जाने वाले युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठ रही है। एम. रहीम की असमय मौत न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिवार और क्षेत्रवासियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए : सीएमओ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आशा मासिक समीक्षा बैठक में संस्थागत प्रसव पर जोर

सिद्धार्थनगर/उसका बाजार कस्बा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार पर गुरुवार को आशा समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएमओ रजत चौरसिया ने आशा संगिनी द्वारा शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने पर जोर दिया,उन्होंने कहा की सरकार द्वारा सुरक्षित प्रसव के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सभी आशा आम जन को जागरूक करके संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रेरित करें। आशा को लक्ष्य के सापेक्ष संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया गया। सीएमओ ने सभी पात्र का आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड बनवाने का भी संबंधित को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य सेवाओं का का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए । उसके लिए सभी लोग सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएमओ ने 10 से कम प्रसव कराने वाली आशा को चिन्हित करके कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया है तथा ब्लॉक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसव कराने वाली कुल 6 आशाओं को सम्मानित भी किया गया। अधीक्षक डा एस के पटेल ने मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु,गोल्डन आयुष्मान कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी और इसके प्रति सभी को जागरूक करने को कहा है। इस अवसर पर डॉ राम गुलाम सिंह, बीपीएम मनीष पाण्डेय, कृष्ण मोहन पाण्डेय, राजेश सिंह, रमेश भास्कर, अशोक आदि रहे।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 के प्रतिबंध लागू, खराब श्रेणी में पहुंची हवा की क्वालिटी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर हवा की क्वालिटी बिगड़ गई है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रेप) के पहले चरण को लागू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 226 के आसपास रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। साथ ही अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के शहरों का एक्यूआई 'खराब श्रेणी' में ही रहने के आसार हैं। **40-41 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान** मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अब दिल्ली में तल्ख गर्मी के तेवर देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा होने के आसार हैं। सुबह भले ही थोड़ा सुहाना मौसम बना रहे पर दिन में गर्मी की तेजी से चुभन बढ़ेगी। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 40 से 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ 224 दर्ज किया गया। इसे 'खराब' श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा खराब से मध्यम श्रेणी में चल रही है। पूर्वानुमान है कि हाल फिलहाल इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा।

श्रीभूमि जिले के दरगारबंद सड़क की दयनीय स्थिति, ग्रामीणों की दुर्दशा पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमिः श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र दरगारबंद जीपी के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण दरगारबंद सड़क की खराब स्थिति के कारण कई गांवों के लोग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह सड़क क्षेत्र के सिंगलाछड़ा, बास्कालटिला, फेटिपात, हरिनटिला सहित कई गांवों के लिए एकमात्र संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन हजारों लोग, स्कूल के छात्र और मरीज इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, क्योंकि क्षेत्र में कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले वर्ष बारिश के दौरान सिंगला नदी के किनारे सड़क का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में धंस गया था। उस क्षतिग्रस्त हिस्से की अब तक मरम्मत नहीं की गई है, जिससे आवागमन बेहद जोखिमपूर्ण हो गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि PWD विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासनिक स्तर पर केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जबकि जमीनी काम नहीं हो रहा। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत नहीं की गई, तो आगामी मानसून में स्थिति और भी भयावह हो सकती है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

रैगिंग के विरुद्ध जागरूकता हेतु पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल दिनांक 16 अप्रैल 2026 को बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में रैगिंग जैसी कुप्रथा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं कॉलेज स्टाफ को रैगिंग के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं इससे बचाव के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान थाना सोहागपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण पांडे द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में संलिप्त न हों एवं ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस अथवा कॉलेज प्रशासन को दें। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षा, सम्मान एवं अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करना रहा।

धुरंधर 2 ने 29वें दिन मचाया गदर, वीकडे पर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने किया कमाल

● धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर चार हफ्ते पूरे किए

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर चार हफ्ते पूरे हो गए हैं। फिल्म लगातार कमाई के मामले में नए आंकड़े स्थापित कर रही है। इसकी कमाई ने नई रिलीज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जिसकी वजह से कई फिल्मों ने अपनी रिलीज आगे बढ़ा दी।

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर साल 2025 की हिट 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट है और इसने कमाई के मामले में पहले ही कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

कितना था धुरंधर 2 का कलेक्शन?

धुरंधर 2 ने पेड प्रिव्यू में 43 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद ओपनिंग डे पर इसने शानदार 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की। धुरंधर ने अपने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे हफ्ते इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आई लेकिन फिर भी इसने 263.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। तीसरे हफ्ते ये आंकड़ा 110.60 करोड़ रुपये रहा। वहीं 29वें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 29वें दिन यानी गुरुवार को फिल्म 4 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। इस हिसाब से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 1108.42 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं दुनियाभर में भी धुरंधर 2 शानदार कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड इसने 1733.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

धुरंधर 2 की क्या है कहानी?

धुरंधर 2 की कहानी की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा अली का किरदार निभाया है जो एक अंडरकवर एजेंट है। पाकिस्तान के लियारी जाकक वो रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाता है और सारा गेम बदल देता है। वहां के अंडरवर्ल्ड गैंग के लोगों को एक-एक करके खत्म करके किंग ऑफ लियारी बन जाता है। फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट 19 मार्च को आया था।

एमआई बनाम पीबीकेएसः अर्शदीप सिंह ने मुंबई इंडियंस को डबल झटका देकर जड़ा स्पेशल 'शतक', बनाया नायाब रिकॉर्ड

● अर्शदीप सिंह ने आईपीएल में 100 विकेट पूरे किए

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस को एक ही ओवर में दो झटके देकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप सिंह ने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे किए। अर्शदीप सिंह विकेटों का 'शतक' लगाने वाले पंजाब किंग्स के पहले गेंदबाज बने।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने वानखेड़े स?टेडियम पर पारी का तीसरा ओवर करते हुए इतिहास रचा। अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर रेयान रिकलटन (2) को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कराया। इसी के साथ अर्शदीप ने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे किए। अगली ही गेंद पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई पर डबल अटैक किया। सूर्यकुमार यादव खाता खोले बिना डगआउट लौटे। अर्शदीप सिंह ने अपने आईपीएल करियर के 87वें मैच में 100 विकेट का आंकड़ा पार किया। अर्शदीप सिंह 100 आईपीएल विकेट लेने वाले 24वें भारतीय गेंदबाज बने।

चक्रवर्ती को पछाड़ा

अर्शदीप ने मुंबई के दो बल?लेबाजों को शिकार बनाकर अपने विकेटों की संख्या 101 पहुंचाई। इसी के साथ उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा। चक्रवर्ती ने 87 मैचों में 100 विकेट चटकाए जबकि हार्दिक ने 147 मैचों में विकेटों का शतक पूरा किया।

स्पेशल क्लब का बने हिस्सा

अर्शदीप सिंह आईपीएल में 100 या ज?यादा विकेट लेने वाले पांचवें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने। न्यूजीलैंड और मुंबई इंडियंस के पेसर ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। बोल्ट ने 144 विकेट चटकाए हैं।

आईपीएल में 100 या ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज

144 - ट्रेंट बोल्ट, 114 - जयदेव उनादकट, 106 - आशीष नेहरा, 102 - जहीर खान, 100* - अर्शदीप सिंह

11 मैचों के बाद पावरप्ले में विकेट

अर्शदीप सिंह पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म के कारण आलोचनाओं से घिरे हुए थे। मगर उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। अर्शदीप सिंह ने 11 आईपीएल पारियों के बाद पावरप्ले में विकेट चटकाए।

रिकॉर्ड किसके नाम याद दिला दें कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है। चहल ने 179 मैचों में 224 विकेट चटकाए हैं। आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 205 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज 224 - युजवेंद्र चहल, 215 - भुवनेश्वर कुमार, 195 - सुनील नरेन, 192 - पीयूष चावला, 187 - रविचंद्रन अश्विन

कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ निश्चय का परिणाम-इकरा जुनैद ने CBSE हाईस्कूल में 90.02% अंक प्राप्त कर बढ़ाया जिले का मान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/श्रावस्ती। जनपद श्रावस्ती के ग्राम पिपरी, तहसील व थाना भिनगा की मेधावी छात्रा इकरा जुनैद ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की हाईस्कूल परीक्षा में 90.02 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। वर्तमान में वह लखनऊ के प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय, गोमती नगर की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र में गर्व की अनुभूति हो रही है। इकरा जुनैद ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, नियमित अध्ययन और समय के कुशल प्रबंधन को दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे सत्र के दौरान एक निश्चित दिनचर्या बनाकर पढ़ाई की, जिसमें प्रत्येक विषय को संतुलित समय दिया गया। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने बार-बार अभ्यास किया और शिक्षकों से समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इकरा ने यह भी बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी, जिससे उनका ध्यान भटकने के बजाय पढ़ाई पर केंद्रित रहा। उनका मानना है कि आज के समय में डिजिटल माध्यमों का सीमित और सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है।

परिवार के सहयोग का जिक्र करते हुए इकरा ने कहा कि उनके माता-पिता ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने भी समय-समय पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया। इकरा ने अपने सभी गुरूजनों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया।

इकरा जुनैद का सपना है कि वह आगे चलकर इंजीनियर बनें और देश के विकास में योगदान दें। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है, बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने इकरा की इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगी। इकरा की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया जाए, तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है।

दिल्ली में सहेली के फेंके तेजाब से गई युवती की एक आंख की रोशनी, टली शादी; एक महीने अस्पताल में रहेगी पीड़िता

पूर्वी दिल्ली। मुस्तफाबाद में एकतरफा प्रेम में सहेली द्वारा किए गए तेजाब हमले में 21 वर्षीय युवती की एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई है, जबकि दूसरी आंख महज 30 प्रतिशत ही काम कर रही है। गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती पीड़िता को डॉक्टरों ने कम से कम एक माह तक अस्पताल में ही रखने की बात कही है। इसी बीच 19 अप्रैल को तय उसकी और बड़ी बहन की शादी परिवार को टालनी पड़ी है। डाक्टरों के अनुसार तेजाब हमले में युवती का करीब 40 प्रतिशत चेहरा झुलस गया है और शरीर के अन्य हिस्से भी प्रभावित हैं। दोनों आंखों की पलकों में सूजन इतनी ज्यादा है कि वह आंखें खोल नहीं पा रही है। चिकित्सक उसकी बची हुई रोशनी को सुरक्षित रखने और सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। परिवार के मुताबिक वारदात के बाद से युवती गहरे सदमे में है और अब तक पुलिस को बयान नहीं दे सकी है। तेजाब मुंह के अंदर तक चला गया था, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। घटना के समय पहने कपड़े त्वचा से चिपक गए थे। अस्पताल में उसकी देखरेख मां और भाई कर रहे हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य उसकी हालत को लेकर चिंतित हैं। उधर, 26 वर्षीय आरोपित गुलिस्ता को गोकलपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपित एक युवक से एकतरफा प्रेम करती थी और उसकी शादी पीड़िता से तय होने के कारण उसने ईर्ष्या में यह कदम उठाया।